

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः प. 2(21) वित्त/राजस्व/90

दिनांक: 17.09.2009

परिपत्र

इस विभाग के पूर्व समसंबंधीक परिपत्र दिनांक 19.08.2008 द्वारा जारी निर्देशों के अतिक्रमण में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी को किसी एक पद पर पांच वर्ष से अधिक की अवधि एवं लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पदस्थापित नहीं रखा जावेगा।
 2. इन कार्मिकों को यथासंभव उनके गृह जिले में ही पदस्थापित किया जावेगा। यदि पद के अभाव में किसी अपरिहार्य स्थिति में गृह जिले में पदस्थापित किया जाना संभव नहीं हो तो ऐसे निकटवर्ती जिले में पदस्थापन किया जावेगा जहां उपयुक्त पद उपलब्ध हो।
 3. 10 वर्ष से अधिक अवधि से गृह जिले के बाहर कार्यस्थल लेखाकर्मियों की विरिच्छा विदेशालय स्तर पर संधारित की जावेगी तथा गृह जिले में पद रिक्त होने पर ऐसे कार्मिकों को उनके गृह जिले से बाहर पदस्थापन की अवधि के आधार पर गृह जिले में पदस्थापन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
 4. किसी भी कार्मिक को एक ही स्केल में दो से अधिक बार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित नहीं किया जावेगा।
 5. कार्मिक को लगातार दो बार प्रतिनियुक्ति पर राजकीय उपकरणों एवं स्थानीय निकायों में तथा समाज प्रकृति के कार्यालयों जैसे राजस्व अर्जित करने वाले विभाग अथवा निर्माण कार्य से संबंधित विभागों में पदस्थापित नहीं किया जावेगा। ऐसी दो नियुक्तियों के मध्य न्यूनतम चार वर्ष का अवधारणा होना आवश्यक है।
 6. राजकीय उपकरणों/स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम चार वर्ष होगी तथा विभाग के प्रशासनिक सचिव की अनुशंशा पर अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी।
 7. पति एवं पत्नि दोनों के राजकीय सेवा में होने की स्थिति में दोनों कार्मिकों को यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। इस हेतु संबंधित कार्मिक को लिखित रूप में वित्त वर्ष के प्रारंभ होने के तीस दिवस में निटेशन, कोष एवं लेखा को आवेदन करना होगा जिसमें पति/पत्नि के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस बारे में जारी प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
 8. सेवानिवृत्ति में दो वर्ष अथवा इससे कम अवधि शेष रहने पर आवेदन करने पर इच्छित जिले (विभाग/कार्यालय नहीं) में पद रिक्त होने पर पदस्थापन किया जा सकेगा।
 9. विधवा/परिवाहित महिला कर्मचारी को यथासंभव उसके इच्छित शहर/कस्बे में (विभाग/कार्यालय नहीं) पद रिक्त होने पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कार्मिक को अपना लिखित आवेदन विदेशक, कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करना होगा।
 10. गंभीर बीमारी (कैंसर, एड्स, हृदय रोग, क्षय रोग, कुछ रोग अथवा मरोरोग आदि) से पीड़ित स्वयं कार्मिक अथवा उसकी पत्नि/पति एवं आश्रितों संतानों वाले कर्मचारी को उनके इच्छित स्थान (विभाग/कार्यालय नहीं) पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित विकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न किया जाना दांचलीय होगा।
 11. शारीरिक रूप से बिशक्त कार्मिक को उसकी सुविधा अनुसार पदस्थापित किया जावेगा। इस हेतु संबंधित कार्मिक को लिखित रूप में वित्त वर्ष के प्रारंभ होने के तीस दिवस में

निदेशक, कोष एवं लेखा को आवेदन करना होगा। यदि कर्मचारी निःशक्तजब कोटे में नियुक्त नहीं हुआ है तो उसे प्रार्थनापत्र के साथ सक्षम अधिकारी/मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी विशेषता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।

- 1.2. इस नीति के विपरीत नहीं होने पर लोकेशन (जिला/उपमण्डल/तहसील) परिवर्तन होने वाले मामलों में परस्पर सहमति के आधार पर स्थानांतरण (Mutual Transfers) किये जा सकेंगे।
- 1.3. किसी कार्यालय में लेखाकर्मी के स्वीकृत पद की समाप्ति, क्रमोन्तत/क्रमावनत होने पर, आदेशों की प्रतीक्षारत होने पर अथवा किसी सक्षम न्यायालय के न्यायिक आदेश की पालना में लेखाकर्मी के आदेशों की प्रतीक्षा में होने पर निदेशालय, कोष एवं लेखा अथवा उनके द्वारा नियोगित अन्य कार्यालयों में उपस्थिति देने की तिथि से 10 दिवसों में ऐसे कर्मचारी को निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा जिले में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।
- 1.4. अनुशासनहीनता अथवा शिक्षयत के कारण विभाग द्वारा रिलीफ किये गये लेखाकर्मी के पदस्थापन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 1.5. वांछित पद रिक्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकता है यदि ऐसा किया जाना नीति के विपरीत न हो।
- 1.6. इस नीति के अंतर्गत सभायोजित व होने वाले आवेदन एवं अनुशासनाओं पर क्रियान्विति से पूर्ण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

इस वर्ष 2009-10 के दौरान स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार करते समय निम्न विशेष बिन्दुओं की भी पालना अपेक्षित है-

1. दिनांक 01.01.2009 को जारी पदोन्नति एवं स्थानांतरण आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित की जावेगी एवं इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. उन क्रिटिकल जिलों (जैसे-बाइमेर, जैसलमेर, जालौर, बांसवाडा, हुंगरपुर, बारां एवं झालावाड़ आदि), जिनमें लेखाकर्मियों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं, मैं से जिले के बाहर स्थानांतरण यथासंभव बहीं किये जायेंगे। यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ऐसे जिलों में जिले के अव्वर स्थानांतरण करते समय भी किसी एक स्थान पर सभी पद रिक्त न हो जावें।

(एस.एस. राजावत)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल भ्रोदय/मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. विजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. विजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व/बजट/व्यय)।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी/उप शासन सचिव/संयुक्त विधि परामर्शी (समस्त अनुभाग) वित्त विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव